प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन जिसमें "गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकास एवं सम्पत्तियों का आवंटन" विषय पर किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के अवलोकन में आये बिन्दुओं को सम्मिलित कर संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उनमें से हैं जो उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी गाज़ियाबाद, जिला नगरीय विकास अभिकरण गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद नगर निगम तथा विकास क्षेत्र को आच्छादित करने वाले नगर निकायों के कार्यालयों के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित किया गया तथा मार्च 2024 और जुलाई 2024 में प्राप्त उत्तरों को सम्मलित करते हुए इसे अद्यतन किया गया।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।